

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1273  
उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

**समर्पित मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र**

†1273. श्री राहुल कस्वां:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पूर्णकालिक पेशेवर परामर्शदाताओं या नैदानिक मनोवैज्ञानिकों सहित समर्पित मानसिक स्वास्थ्य या परामर्श केंद्रों वाले राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) ऐसे संस्थानों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने छात्रों के प्रवेश के दौरान या समय-समय पर प्रश्नावली या सहकर्मी-मूल्यांकन कार्यक्रम जैसे मानसिक-स्वास्थ्य जांच मॉड्यूल लागू किए हैं;
- (ग) आंतरिक रूप से या 'आपका दोस्त' या 'टेली-मानस' जैसे प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी के माध्यम से 24x7 हेल्पलाइन या टेली-परामर्श सेवाओं वाले संस्थानों की कुल संख्या कितनी है;
- (घ) क्या इन संस्थानों में छात्रों की रुचि, सत्र उपयोग और प्रभाव मूल्यांकन पर नज़र रखने के लिए कोई केंद्रीकृत संपरीक्षा या वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है; और
- (ङ.) क्या सरकार की 2026 तक सभी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा न्यूनतम मानसिक-स्वास्थ्य अवसंरचना मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) से (ङ): भारत सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपायों और दिशानिर्देशों के माध्यम से विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को बढ़ावा देने में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) आकर्षक और सहयोगी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों का प्रावधान करती है। यह नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, पेशेवर और करियर परामर्श, और तनाव एवं भावनात्मक समायोजन से निपटने संबंधी परामर्श प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रावधान करती है।

सभी आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और आईआईआईटी ने अपने परिसरों में समर्पित मानसिक स्वास्थ्य अथवा परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें पूर्णकालिक अथवा अतिथि पेशेवर परामर्शदाता, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और कुछ मामलों में मनोचिकित्सक कार्यरत हैं। कई संस्थान नियमित रूप से जागरूकता बढ़ाने, परेशानी को कम करने और विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के संबंध में शिक्षित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। इन सत्रों में तनाव प्रबंधन, इससे निपटने की कार्यनीतियाँ और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षणों की पहचान जैसे विषयों संबंधी चर्चा की जाती है। कुछ संस्थान परिसर के भीतर/बाहर परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं, जहाँ विद्यार्थी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से मुलाकात कर सकते हैं। इनमें से कई संस्थाओं ने विद्यार्थियों के प्रवेश के दौरान और नियमित अंतराल पर संरचित प्रश्नावली और सहकर्मी-मूल्यांकन कार्यक्रम जैसे मानसिक स्वास्थ्य जाँच तंत्र भी शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को निरंतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित करने के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर और टेली-परामर्श सेवाएँ भी शुरू की गई हैं।

सरकार विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। शिक्षा मंत्रालय की पहल मनोदर्पण में राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन, लाइव इंटरैक्टिव सत्र "सहयोग" और वेबिनार "परिचर्चा" के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गई है, जो सभी हितधारकों के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। मनोदर्पण विद्यार्थियों के लिए एक संसाधन के रूप में स्कूल और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर कार्यरत परामर्शदाताओं की निर्देशिका (<https://manodarpan.education.gov.in>) भी उपलब्ध कराता है। पीएम ई-विद्या चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रों के सोमवार से शुक्रवार (शाम 5:00 बजे से 5:30 बजे) तक कार्य करने वाले परामर्शदाता के साथ विद्यार्थियों के लिए लाइव इंटरैक्टिव सत्र 'सहयोग' आयोजित किए जाते हैं। दिनांक 24.07.2025 तक 1133 'सहयोग' सत्र आयोजित किए गए और 12 लाख से ज़्यादा दर्शक लाभान्वित हुए। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच को बेहतर करने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है। दिनांक 23.07.2025 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 24 लाख से अधिक कॉल के उत्तर दिए गए हैं।

यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक फिटनेस, खेल, विद्यार्थी स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी

किए हैं, जो विद्यार्थियों के लिए शारीरिक फिटनेस और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने; शैक्षणिक दबाव, समकक्षों का दबाव, व्यवहार संबंधी मुद्दों, तनाव, कैरियर की चिंताओं, अवसाद और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दों के समाधान हेतु उपाय करने; विद्यार्थी समुदाय में सकारात्मक सोच और भावनाओं को सिखाने; और विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक और सहायक नेटवर्क को बढ़ाने का कार्य करते हैं।

मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी प्रचालित की है, जिसमें उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों की भावनात्मक और मानसिक कल्याण की समस्याओं का समाधान हेतु संस्थागत तंत्र तैयार करने हेतु सभी केंद्रीय वित्तपोषित संस्थाओं को निदेश दिए गए हैं।

मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की संकल्पना की गई है। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का शीघ्र समाधान करने हेतु संकाय सदस्यों को सशक्त बनाना है। इस एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, अब तक 160 से अधिक केंद्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के 1,949 संकाय सदस्यों ने मई 2024 से 27 ऑनलाइन क्षमता निर्माण सत्रों में भाग लिया है।

सभी संस्थाओं के पास रुझानों का अध्ययन करने के लिए संस्थागत स्तर पर आँकड़ों का विश्लेषण करने, मध्यवर्तनों के प्रभाव को समझने और परामर्श प्रणाली में सुधार लाने हेतु उनकी अपनी व्यवस्था है। शैक्षणिक संस्थाओं में मानसिक स्वास्थ्य अवसरंचना को सुदृढ़ और स्तरोन्नत करने की प्रक्रिया को उचित प्राथमिकता दी जा रही है।

\*\*\*